

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 316/2017

दायर दिनांक 17.11.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. लखुसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-71साल, जाति-राजपूत, निवासी-छोटी खाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. कानसिंह पुत्र तिलोकसिंह, उम्र-36साल, 2. विजेन्द्रसिंह पुत्र तिलोकसिंह, उम्र-32साल, 3. धापूकँवर पत्नी तिलोकसिंह, उम्र-50साल, 4. प्रकाशकँवर पुत्री तिलोकसिंह, उम्र-29साल, 5. शिम्भुसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-55साल, 6. शिवसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-42साल, 7. शंकरसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-39साल, 8. कृष्णसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, उम्र-24साल, 9. ज्योतिकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र-29साल, 10. ममताकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र-06साल, 11. रेखाकँवर पत्नी गोविन्दसिंह, उम्र-45साल, (प्रतिवादी संख्या 10 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 11 रेखाकँवर), समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 12. जगदीशसिंह पुत्र हनुमानसिंह, उम्र-60साल, जाति-राजपूत, निवासी-राजोद, तहसील-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. प्रहलादसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र-45साल, जाति-राजपूत, निवासी-ओडीट, तहसील-लाडनूँ, जिला-नागौर, राजस्थान,

बनाम्

उत्तमसिंह शेखावत  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-316/2017  
दायर दिनांक 17.11.2017, निर्णय दिनांक 24.11.2017  
लखुसिंह बनाम कानसिंह, वगैरा।

	<p>14. ओमकँवर पत्नी तेजसिंह, उम्र-50साल, जाति-राजपूत, निवासी-ओडींट, तहसील-लाडनूँ, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. उषाकँवर पत्नी राजेन्द्रसिंह, उम्र-40साल, जाति-राजपूत, निवासी-कवाल, तहसील-डेगाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>
--	--

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :-

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09,  
12, 13 व 15 की ओर से।

--: निर्णय :-

दिनांक 24.11.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 एक ही परिवार से हैं। शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा, खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा स्थित है।

उपर्युक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में वर्तमान में दर्ज है। नकल पेश है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य दर्ज है मगर उक्त भूमि का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्टवारा हो चुका है। बन्टानुसार उक्त भूमि में बन्टदार कब्जाकाशत है। उक्त बन्ट निम्नानुसार है:-

1. खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा भूमि का बन्टवारा-  
रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार वादी लखुसिंह के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादीगण 01 ता 04 के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी 05 के बन्ट में रखी गयी है।

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-218/2017  
 दावर दिनांक 17.11.2017, निषर्ष दिनांक 24.11.2017  
 लखुसिंह बनाम कानसिंह, वगैरा।

रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनकशा अनुसार प्रतिवादी 06 के बन्ट में रखी गयी है।

रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनकशा अनुसार प्रतिवादी 07 के बन्ट में रखी गयी है।

रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनकशा अनुसार प्रतिवादी 08 कृष्णसिंह व प्रतिवादी संख्या 09 ज्योतिकेवर के संयुक्त रूप से बन्ट में रखी गयी है।

रकबा 01.02 बीघा भूमि नजरीनकशा अनुसार प्रतिवादी 12 जगदीशसिंह के बन्ट में रखी गयी है।

रकबा 0.17 बीघा प्रतिवादी संख्या 13 प्रहलादसिंह के बन्ट में, रकबा 0.03 बीघा प्रतिवादी संख्या 14 ओमकेवर के बन्ट में, रकबा 0.02 बीघा प्रतिवादी संख्या 15 उषाकेवर के बन्ट में, नजरीनकशा अनुसार रखी गयी है।

नजरीनकशा अनुसार मार्क क से ख तक रकबा 0.12 बीघा भूमि गैरमुमकिन रास्ता हेतु रखी गयी है।

2. खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा भूमि सम्पूर्ण वादी के बन्ट में रखी गयी है।
3. खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा भूमि का बन्टवारा निम्न प्रकार है:-

रकबा 1/6 भाग वाद के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 05 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 06 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 07 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के बन्ट में रखी गयी है।

प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 का सामाजिक रीतिनुसार हक अदा कर दिया है इसलिए इनका नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 05 ने रकबा 01.02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 जगदीशसिंह जो बैचाण कर दी व प्रतिवादी संख्या 06 शिवसिंह ने प्रतिवादी संख्या 13 प्रहलादसिंह को रकबा 01.02 बीघा भूमि का बैचाण कर दिया व प्रतिवादी संख्या 13 प्रहलादसिंह ने प्रतिवादी संख्या 14 ओमकेवर को रकबा 0.03 बीघा भूमि का बैचाण कर दिया व प्रतिवादी संख्या 15 उषाकेवर को रकबा 0.02 बीघा भूमि का बैचाण प्रतिवादी संख्या 13 ने कर दिया।

वादी अपने बन्ट की भूमि में कदीम से काश्त करते आये हैं। दिनांक 16.11.2017 को प्रतिवादीगण ने एलानियाँ धमकी दी कि उक्त खसरान की भूमि का बैचाण कर देंगे। अगर प्रतिवादीगण ने वादी की बन्ट की भूमि का बैचाण कर दिया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी।

यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबत नहीं है, आपसी भाई बन्टवारे का है। इसलिए वाद से पूर्व दो माह की अवधि का कानूनी

2-4  
 महापिक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-316/2017  
दायर दिनांक 17.11.2017, निर्णय दिनांक 24.11.2017  
लखुसिंह बनाम् कानसिंह, वगैरा।

नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। मगर लैण्ड होल्डर होने से तहसीलदार डीडवाना का पक्षकार बनाया गया है।

बिनाया दावा दिनांक 16.11.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवं दिनांक 16.11.2017 की खतौनी की प्रमाणित नकल पेश है।

प्रार्थना वादी है कि-

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी निम्न बन्ट अनुसार घोषित की जावे:-

1. खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा भूमि का बन्टवारा-  
रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार वादी लखुसिंह के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादीगण 01 ता 04 के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी 05 के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी 06 के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी 07 के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी 08 कृष्णसिंह व प्रतिवादी संख्या 09 ज्योतिकँवर के संयुक्त रूप से बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 01.02 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार प्रतिवादी 12 जगदीशसिंह के बन्ट में रखी गयी है।  
रकबा 0.17 बीघा प्रतिवादी संख्या 13 प्रहलादसिंह के बन्ट में, रकबा 0.03 बीघा प्रतिवादी संख्या 14 ओमकँवर के बन्ट में, रकबा 0.02 बीघा प्रतिवादी संख्या 15 उषाकँवर के बन्ट में, नजरीनक्शा अनुसार रखी गयी है।  
नजरीनक्शा अनुसार मार्क क से ख तक रकबा 0.12 बीघा भूमि गैरमुमकिन रास्ता हेतु रखी गयी है।
2. खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा भूमि सम्पूर्ण वादी के बन्ट में रखी गयी है।
3. खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा भूमि का बन्टवारा निम्न प्रकार है:-  
रकबा 1/6 भाग वाद के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 05 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 06 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 07 के बन्ट में, रकबा 1/6 भाग प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के बन्ट में रखी गयी है।

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नगौर)

प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 का सामाजिक रीतिनुसार हक अदा कर दिया है इसलिए इनका नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाया जावे। खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 का नाम हटाया जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ-पत्र, नजरीनकशा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070-2073 खेवट संख्या 698/275 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070-2073 खेवट संख्या 699/275 की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत सरकार द्वारा जारी आधार क्रमांक 654188460004 नाम लखुसिंह की छायाप्रति, पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 14 व 16 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 12, 13 व 15 ने वाद में इकबालीया जवाब पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव व लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नागापालसिंह राठौड़ ने की है। हसब वख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अनुसार-

शरहद खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा व खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा भूमि का बन्टवारा प्रार्थना वादी अनुसार किया जावे।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने इकबालीया जवाब व राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

महसुस कालक्टर  
डीडवाना (नाजौर)

### आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्डस से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार कर, शरहद खाटूखुर्द में निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-


(क) खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा भूमि में से निम्नानुसार:-

1. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का वादी लखुसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है।
2. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 08 कृष्णासिंह व प्रतिवादी संख्या 09 ज्योतिकँवर को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. रकबा 01.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी 12 जगदीशसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 प्रहलादसिंह को व रकबा 0.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 ओमकँवर को व रकबा 0.02 बीघा का प्रतिवादी संख्या 15 उषाकँवर को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
9. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार मार्क क से ख तक रकबा 0.12 बीघा भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

(ख) खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा भूमि सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा भूमि में से निम्नानुसार:-

1. रकबा 1/6 भाग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


  
सहायक कलेक्टर  
डीउबाना (नागौर)

4. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 का नाम हटाया जाता है। शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा व खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

  
(सुतमसिंह शेखावत)  
डीडवाना (नागौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
(सुतमसिंह शेखावत)  
डीडवाना (नागौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

दिनांक:- 12/02/2018

नोट:- प्रविषदी सं 14 अंम इन्टर पत्नी नैजासिंह ई  
स्वयं पर कय इन्टर पत्नी नैजासिंह पढ़ा व  
समस्त मर्तों।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 316/2017

दायर दिनांक 17.11.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. लखुसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-71साल, जाति-राजपूत, निवासी-छोटी खाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. कानसिंह पुत्र तिलोकसिंह, उम्र-36साल, 2. विजेन्द्रसिंह पुत्र तिलोकसिंह, उम्र-32साल, 3. धापूकँवर पत्नी तिलोकसिंह, उम्र-50साल, 4. प्रकाशकँवर पुत्री तिलोकसिंह, उम्र-29साल, 5. शिम्भुसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-55साल, 6. शिवसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-42साल, 7. शंकरसिंह पुत्र नाहरसिंह, उम्र-39साल, 8. कृष्णसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, उम्र-24साल, 9. ज्योतिकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र-29साल, 10. ममताकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र-06साल, 11. रेखाकँवर पत्नी गोविन्दसिंह, उम्र-45साल, (प्रतिवादी संख्या 10 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 11 रेखाकँवर), समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 12. जगदीशसिंह पुत्र हनुमानसिंह, उम्र-60साल, जाति-राजपूत, निवासी-राजोद, तहसील-जायल, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. प्रहलादसिंह पुत्र मूलसिंह, उम्र-45साल, जाति-राजपूत, निवासी-ओडींट, तहसील-लाडनू,

बनाम्

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

	जिला-नागौर, राजस्थान, 14. ओमकँवर पत्नी तेजसिंह, उम्र-50साल, जाति-राजपूत, निवासी-ओडींट, तहसील-लाडनूँ, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. उषाकँवर पत्नी राजेन्द्रसिंह, उम्र-40साल, जाति-राजपूत, निवासी-कवाल, तहसील-डेगाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	---


दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,  
 अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 24.11.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09, 12, 13 व 15 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार कर, शरहद खाटूखुर्द में निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

(क) खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा भूमि में से निम्नानुसार:-

1. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का वादी लखुसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है।
2. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण 01 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. रकबा 01.02 बीघा भूमि व रकबा 03.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी 08 कृष्णसिंह व प्रतिवादी संख्या 09 ज्योतिकँवर को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. रकबा 01.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी 12 जगदीशसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. रकबा 0.17 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 प्रहलादसिंह को व रकबा 0.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 ओमकँवर को व रकबा 0.02 बीघा का प्रतिवादी संख्या 15 उषाकँवर को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
9. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार मार्क क से ख तक रकबा 0.12 बीघा भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

  
 ज्योतिकँवर  
 डीडवाना (नागौर)

(ख) खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा भूमि सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा भूमि में से निम्नानुसार:-

1. रकबा 1/6 भाग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. रकबा 1/6 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1626/1258 रकबा 0.02 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 का नाम हटाया जाता है। शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1627/1259 रकबा 19.18 बीघा व खसरा नम्बर 1628/1261 रकबा 30.12 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनकशा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....  
 .....-..... खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 24.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
 डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
 डीडवाना  
 डीडवाना (नागौर)

नोट:- प्रतिकी सं 14 अमर अंगर पत्नी तेजाकिं 5 स्यात फर  
 काल अंगर पत्नी तेजाकिं पट्टा व लयसक जत्ते।

सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नागौर)